न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–184 / 2021 दायर दिनांक: 15.11.2021

GCMS NO:- 2021/337

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

रामलाल पुत्र मन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. रामराज उर्फ रामजस पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. बद्री पुत्र मन्ना जाति गुर्जर निवासी खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. नारायण पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामबिलास पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. गोपाल पुत्र रामभज्ज जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. गोपी पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. संतरा पत्नि हेमराज जाति मीणा निवासी खुरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खुरी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी कीभूमि खाता संख्या 164 के खसरा संख्या 149 / 0.3398, 150 / 0.2670, 372 / 0.0647 तथा 400 / 1.4238 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.0953 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम खुरी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी कीभूमि खाता संख्या 157 के खसरा संख्या 753 / 371 / 0.6472 तथा 748 / 372 / 0.3236 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9708 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम खुरी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 44 के खसरा संख्या 755 / 371 / 0.6472 तथा 756 / 372 / 0.3236 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9708 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम खुरी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 40 के खसरा संख्या 399 / 2.6616 कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम खुरी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 400 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम खुरी से भूमि खसरा संख्या 371 की दक्षिण मेड के सहारे सहारे भूमि खसरा संख्या 399 की उत्तरी मेड पर होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 400 पर पहुंचता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरुद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समक्ष [illegible]शिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 400 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 371 में से रकबा 8 मीटर • 2 मीटर = 16 वर्गमीटर, खसरा संख्या 749/372 में से रकबा 36 मीटर • 2 मीटर = 72 वर्गमीटर, खसरा संख्या 753/371 में से रकबा 12 मीटर • 2 मीटर = 24 वर्गमीटर, खसरा संख्या 754/372 में से रकबा 32 मीटर • 2 मीटर = 64 वर्गमीटर, खसरा संख्या 755/371 में से रकबा 56 मीटर • 2 मीटर = 112 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 756/372 में से रकबा 28 मीटर • 2 मीटर = 56 वर्गमीटर भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सहण में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम खुरी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 164 के खसरा संख्या 400 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 371 में से रकबा 8 मीटर • 2 मीटर = 16 वर्गमीटर, खसरा संख्या 749/372 में से रकबा 36 मीटर • 2 मीटर = 72 वर्गमीटर, खसरा संख्या 753/371 में से रकबा 12 मीटर • 2 मीटर = 24 वर्गमीटर, खसरा संख्या 754/372 में से रकबा 32 मीटर • 2 मीटर = 64 वर्गमीटर, खसरा संख्या 755/371 में से रकबा 56 मीटर • 2 मीटर = 112 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 756/372 में से रकबा 28 मीटर • 2 मीटर = 56 वर्गमीटर भूमि , जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner